

**HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, JABALPUR**

Endorsement No. A/4645

Jabalpur, dated 29.11.2016.

The Notification of the Government of M.P. F.No. 1-6-89-XXI-B(1)4222/2016, Bhopal, dated 26.11.2016, issued as per the provisions of Section 36(2) of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 forwarded to;

1. Registrar cum P.P.S. to Hon'ble the Chief Justice, High Court of M. P., Jabalpur for kind information of Hon'ble the Acting Chief Justice,
2. The Registrar General, High Court of M.P., Jabalpur for kind information,
3. Principal Registrar, High Court of M.P. Bench at Gwalior and Indore for information,
4. The District and Sessions Judge, Umaria and Dindori for information and necessary action with request that the same be served on the concerned Officers also.
5. The Section Officer, Confidential/Checker, High Court of M.P., Jabalpur for information.
6. Server Room, Computer for an appropriate action in connection with uploading the same on the website.

*heaven*  
29.11.2016  
(Vivek Saxena)  
O.S.D. (D.E.)

3069

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल

**अधिसूचना**

भोपाल दिनांक 26 -11-2016

फा.क्रमांक 1-6-89-21-ब(एक) 4222/2016 - स्वापक अधिधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 36 की उप-धारा (2) द्वारा पदत शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा.क्रमांक 1-6-89-इक्कीस-अ(एक), दिनांक 3 अप्रैल, 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 17 अप्रैल, 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:-

**संशोधन**

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 51-अ तथा 52-अ तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

**सारणी**

अनुक्रमांक	न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम	विशेष न्यायालय	स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड
51-अ.	श्री मृत्युंजय सिंह, सेशन न्यायाधीश, डिण्डोरी	डिण्डोरी	डिण्डोरी
52-अ.	श्रीमती कृष्णा परस्ते, द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, उमरिया	उमरिया	उमरिया."

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें।

**NOTIFICATION**

F-N01-6-89-XX1-B(1)4222/2016. -In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government, in consultation with the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this department Notification No. F.1-6/89-XX1-A(1) dated 3<sup>rd</sup> April, 1998, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1, dated the 1<sup>st</sup> April, 1998, namely:-

**AMENDMENTS**

In the said notification, in the Schedule, for serial numbers 51-A and 52-A and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

28 NOV 2016

REGISTRAR GENERAL  
HIGH COURT OF M.P.  
JABALPUR

OSD (D.E.)

## SCHEDULE

S. No.	Name and Designation of the Judge	Special Court	Local area Session Divisions
851 A	Shri Vritanay Singh, Sessions Judge, Dindori	Dindori	Dindori
852 A	Shri Krishna Paraste, IInd Additional Sessions Judge Umaria	Umaria	Umaria

This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said court.

मध्यप्रदेश के मुख्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार.

( एम. (कसेना)

मुख्य सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

फा क्रमांक B/5205/III-6-3/9Pt-VIII, दिनांक 07.11.2016.

मुख्यपाल, दिनांक 07.11.2016

प्रतिलिपि -

रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर की ओर उ के जापन क्रमांक B/5205/III-6-3/9Pt-VIII, दिनांक 07.11.2016 के संदर्भ में

सचिव, म.प्र. शासन, गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, भोपाल.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौर एवं उमरिया, म.प्र. की ओर सूचनाएं प्रेषित।

उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर म.प्र. राजपत्र भाग-एक के आगामी अंक में प्रकाशनाथ प्रेषित

शाखा प्रभारी, आर.टी. शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित

(आर. का. वाणी)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग